भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/30/2015/एफ.सी./1912

दिनॉकः 16-10-15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक पुराना एन0एच0–28 (बारांबकी शहरी भाग) मार्ग पर किमी0 26.00 से 29.70 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु 1.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण तथा 104 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांक– 617/11सी–यू0पी0–048/2015, दिनांक–15.09.15

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–306/11सी–048/2015, दिनांक– 12.08.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 25.08.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक पुराना एन0एच0–28 (बारांबकी शहरी भाग) मार्ग पर किमी0 26.00 से 29.70 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु 1.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण तथा 104 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात् (1.48x2= 2.96) 2.96 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– लेखा संख्या– एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक

16/10/15

वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

5. इंडियन रोड कॉंग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुरूप सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

/

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ
4. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी, उ0प्र0
6. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–3, बाराबंकी, उ0प्र0।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

16/10/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

Government Of India, Ministry Of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

FILE NUMBER 8B/UP/06/30/2015/FC MINISTRY FILE NUMBER 7-UPB030/2015-LUC

Filing

1.Name of the Proposal	*WIDENING OF NH-28 LUCKNOW FAIZABAD ROAD ALONGWITHDIVIDER AND LEVELLED FOOTPATH*
2.Category	Road
3.State Govt. Letter Number	306/11-C-UP-048
4.Date of application	12/08/2015
5.Date of receipt	14/08/2015
6.District	BARABANKI
7.State	UP
8.Regional Office Letter Number	8B/UP/06/30/2015/FC
9.Regional Office Letter number(old)	NA
10.Year	2015

Processing

1. LOCATION

a) Village NA

b) Location BARABANK

2. PARTICULAR OF FOREST

a) Name of Forest Div. BARABANKI

b) Forest Area Involved in ha. 1.48 **c) Map** Yes

d) Legal Status :- **i) RF :** 0 **ii) PF :** 1.48 **iii) Van Panchyat :** 0

iv) Civil Swyam : 0 **v) PF for Management Purpose :** 0 **vi) Others:** 0

3.IN CASE OF ROAD/ CANAL/ RAILWAY LINE/ TRANSMISSION LINE

a) Total Length(in Kms.) 3.7 **b) Total Width(in Mtrs.)** 4

c) Total Area(in Ha.) 1.48

4. VEGETATION DENSITY .4

5. NUMBER OF TREES TO BE FELLED 104

6.WHETHER ANY RARE/ENDANGERED/UNIQUE SPECIES OF FLORA & FAUNA FOUND IN THE AREA.

No If so details thereof NA

7.WHETHER THE AREA IS W/L SANCTUARY OR NATIONAL PARK

No If yes consent of IBWL NA

8. WHETHER THE PROPOSED FOREST LAND IS UNAVADIABLE & BAREST MINIMUM.

No

9. COMPENSATORY AFFORESTATION

a) Particulars of forest land NFL **b) Map** Yes

c) Comprehensive Scheme Submitted **d) Area in ha.** 1.48

e) Planting Trees 0 **f) Land Suitability Certificate**

10. VIOLATION IF ANY.. No

a) If yes justification of condonation

b) Penal CA

i) Particulars of forest land **iv)** Area in ha. 0

ii) Map **v)** Tree Planting 0

iii) Comprehensive Scheme

(4)

2

Reference nsp 1-3

The forest land diversion proposal for widening of road and construction of median/divider on old NH 28 in Barabanki city is submitted by UP Public Works Department, Barabanki. The hard copy of the proposal has been submitted vide letter no. 306/11-C-UP-048/2015 dated 12th August 2015 and as per timeline of soft copy the proposal is placed on 12th August 2015 from CCF cum Nodal Officer, Department of Forests, Government of Uttar Pradesh. The details of forest land proposed for diversion is provided below:

Sr No.	Forest Division	Details of forest land area (in ha)	Legal Status	Crown Density	Eco Class	No. of trees
1	Social Forestry Division Barabanki	1.48	Protected Forest	Variation in value as per two copies of Part II submitted	Eco III	104

After careful examination of the proposal following discrepancies/issues have been noted and the same needs to be redressed from the concerned authorities of the State Government. The details are provided below:

1. The proposal is without page number which creates difficulty in analyzing the same.
2. The details of employment generation in Part I and enclosure 18 does not match. The uploaded version shows erroneous figure of permanent employment generated.
3. Part II has been submitted twice and both the version have difference in crown density as well as progress of compensatory afforestation. As per online version crown density is 0.4 and progress of CA is nil whereas another paper shows same as 0 and 378.7631228 ha. There is a need to clarify this contradiction.
4. As per the enumeration list enclosed it seems that the list has been prepared by the officials of UP, PWD and counter signed by the concerned DCF.
5. The details of NPV calculation and estimated amount as per present rate have not been submitted.
6. The compensatory afforestation has been proposed on Gram Samaj land which needs to be converted into forest land rather acquiring and making it available for plantation only (as per enclosure 9).
7. The notification of PF at enclosure 22 is not readable.
8. The geo referenced map of proposed forest land diversion (enclosure 29) does not provide for latitude and longitude of key points and the KML file of online version is not opening.
9. The map at enclosure 31 is for compensatory afforestation location as per index but the map does not have title.
10. The Google map showing details of compensatory afforestation is hazy and it seems that the location map involves different landuse classes.

In view of the above observations; if approved, we may return the proposal to the CCF cum Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttar Pradesh for rectification of inherent flaws and submission of requisite documents along with rectified proposal.

The file is submitted for your perusal and necessary directions, please.

APCCF

21/8/15

Conservator of Forests
RO-MOEF &CC, Lucknow

3

- S/N -

5/N प्रारूप प्रस्तुत है।

मुरपड़ी प.स.
24/8/2015

6/N ① कार्यालय अध्यक्षा की अनुपस्थिति के कारण प्रारूप अनुमोदित (संशोधन के संग) प्रेषित किया जाता है।

② स्वच्छ प्रति प्रस्तुत करें।

[signature] 25/8/15

7/N Mrs Mala

स्वच्छ प्रति ह०/- हेतु प्रस्तुत है।

मुरपड़ी 25/8/2015 प.स.

[signature] 25/8/15

Dispatch

8/N पत्रांक निर्गत किया (724)

[signature] 26-8-15

9/N PUC- 3-75/C

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12-8-2015 के द्वारा चाही गयी सूचनायें राज्य सरकार के पत्रांक 617/11-सी.अ.पी.-048/2015 दिनांक 15/9/2015 द्वारा प्रस्तुत करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है

प्रत्येक सूचनाओं को flag कर दिया गया है

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Ref WSP 4 and N-2&3 -6- (6)

(1) The EDS placed at 2/c has been replied from CCF cum Nodal Officer UP Forest Department placed at 3/c alongwith revised proposal

(2) Regarding point-6 of EDS; DM Barabanki has vouched through a letter at page 61 of the proposal that mutation of Gram Samaj land in Forest Department favour is under process.

(3) The proposal's short-comings have been
10 rectified.

If approved; the proposal can be accorded approval in principle (Stage I) under FCA-1980.

Submitted for favour of your perusal and approval, Please.

[signature] 23/6/15

~~APCCF~~

11 CD में दिए गए मैप को चेक करें

[signature] 24.9.15

C/F

Pls discuss the matter.

[signature] 24/9/15

12 Mrs Malq

The corrected map signed by the concerned
13 UK DFO with kml files is submitted.

File is submitted for favour of directions, Please.

[signature] 30/9/15

~~APCCF~~

14. AIP be given.

[signature] 30.9.15

CF

Mrs Malq

[signature] 30/9/15

15 प्रारूप प्रस्तुत है

16. प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अ0प्र0मु0व0सं0

01.10.15

1/10/15

cf

Mrs Mala

1/10/15

17. स्वच्छ प्रति ह0/- हेतु प्रस्तुत है।

8/10/2015

व0ले0 / अ0प्र0मु0व0सं0

18. प्रारूप संशोधित

12.10.15

cf

19. Put up fair copies of revised draft for signature.

14/10/15

Mr Lalji

20. ~~प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है~~

स्वच्छ प्रति हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है

14/10/2015

व0ले0 (के0)

Dispatch

Mr Lalji

16/10/15

पत्रांक 912

16/10/15